न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र जीसीएमएस संख्या 2025/13

1. लालू पुत्र श्याम आयु 55 वर्ष,
2. बाबूलाल पुत्र श्यामा आयु 55 वर्ष,
3. कालू पुत्र केसरा आयु 75 वर्ष,
4. गोपाल पुत्र केसरा आयु 65 वर्ष,
5. सीताराम पुत्र केसरा आयु 55 वर्ष
6. प्रभू पुत्र श्री केसरा आयु 70 वर्ष,

समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम पचार तहसील कालवाड जिला जयपुर (राजस्थान)।

–प्रार्थीगण

1. जयपाल सिंह शेखावत तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र कुमार नायब तहसीलदार कालवाड़, जयपुर।
3. तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर।
4. नायब तहसीलदार कालवाड़, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत–अवमानना अन्तर्गत आदेश धारा 2(बी)सपठित धारा 12(1) अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971

उपस्थित–

1. श्री राकेश सिंह जादौन वकील प्रार्थीगण।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.06.2025

1. यह अवमानना प्रार्थना पत्र तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त की अपील संख्या 39/1994 उनवानी भूराराम व अन्य बनाम वीरेन्द्र ढाका व अन्य एवं 40/1994 उनवानी भूराराम व अन्य बनाम अश्वनी कुमारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.06.1995 की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत हुआ है।

2. तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 12.06.1995 की पालना नहीं किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को दण्डित कर पालना अविलम्ब करवाये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। तहसीलदार कालवाड से जवाब प्राप्त कर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय विचारण न्यायालय ने दिनांक 12/06/1995 को विचाराधीन अपील संख्या 40/94 उनवान भूराराम व अन्य बनाम अश्वनी कुमार व अन्य विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 903 दिनांकित 15/09/1993 एवम् अपील संख्या 39/94 उनवान भूराराम व अन्य बनाम वीरेन्द्र ढाका व अन्य विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 904 दिनांकित 15/09/1993 को संयुक्त रूप से निर्णित करते हुये मिन प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार कर लिया एवम् अपील में वर्णित अनुतोष को स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 903 दिनांकित 15/09/1993 एवम् नामान्तकरण संख्या 904 दिनांकित 15/09/1993 को निरस्त फरमा दिया एवम् उक्त नामान्तकरणों में की गई अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्ध जिला कलक्टर जयपुर को अनुशाानात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये। मिन प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के समक्ष प्रजेन्टेशन देकर श्रीमान् न्यायालय द्वारा अपील संख्या 40/94, एवम् अपील संख्या 39/94 में दिये गये निर्णय दिनांक 12/06/1995 की पालना में नामान्तकरण संख्या 903 दिनांकित 15/09/1993 एवम् नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांकित 15/09/1993 को निरस्त करने का निवेदन किया जा चुका है, लेकिन दिनांक 26/11/2024 तक अप्रार्थीगण ने दोनों नामान्तकरण निरस्त नहीं किये, जबकि श्रीमान् न्यायालय का उक्त निर्णय अन्तिम निर्णय हैं चूंकि उक्त निर्णय के विरूद्ध ना तो कोई अपील पेण्डिग हैं ना ही उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी अपील में कोई स्टे या विरूद्ध निर्णय दिया गया हैं । अप्रार्थीगण के उक्त प्रकार के प्रशासनिक व्यवहार एवम् पदीय कर्तव्य निर्वहन को देखते हुये मिन प्रार्थीगण/याची ने दिनांक 26/11/2024 को अपने अधिवक्ता राकेश सिंह जादौन के जरिये एक विधिक नोटिस दी कन्टेम्प ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार प्रेषित कर श्रीमान् न्यायालय के निर्णिय दिनांक 12/06/1995 की पालना का निवेदन किया लेकिन नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने श्रीमान् न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/06/1995 की पालना नहीं की अपितु गलत तथ्यों को आधार बनाकर जवाब नोटिस दिनांकित 31/12/2024 प्रेषित कर श्रीमान् न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/06/1995 की पालना किया जाना संभव न होने का हवाला दे दिया, जबकि धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में रिसिवर की नियुक्ति का प्रावधान किसी भी प्रकार से श्रीमान् न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/06/1995 की पालना में विधिक रूप से बाधक नहीं है एवम् श्रीमान् न्यायालय का निर्णय दिनांक 12/05/1995 में जेस्टी ऑफ लॉ में वर्तमान में प्रभाव रखता है। अप्रार्थीगण के प्रशासनिक हैसियत में विधिक कर्तव्यों की इस प्रकार की अबली को देखकर स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण जानबूझकर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं कर रहे हैं जबकि श्रीमान् न्यायालय का उक्त निर्णय एक वैध एवं अन्तिम निर्णय हैं एवम् अप्रार्थीगण को विधिक नोटिस के जरिये उक्त निर्णय का पूर्णतया ज्ञान हैं जिसके पश्चात भी अप्रार्थीगण जानबूझकर निर्णय की अवज्ञा कर रहे है, जो की न्यायालय श्रीमान के आदेश कि अवमानना व अवज्ञा के लिए अप्रार्थीगण को 6 माह का कारावास एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे एवं निर्णय कि पालना अविलम्ब किया जाने के आदेश फरमावें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर से प्राप्त जवाब के आधार पर कथन किया कि ग्राम पचार के नामांतरण संख्या 903 दिनांक 15.09.1993 बेचान के द्वारा ग्राम पचार के खसरा संख्या 1376, 1377, 1379, 1380, 1382, 1383, 1384, 1388, 1389 किता 9 रकबा 44.04 बीघा की खातेदारी में अश्वनी कुमार व नरेन्द्र कुमार पुत्र मेजर शिवराम सिंह जाति जाट निवासी किसान छात्रावास बनीपार्क जयपुर हिस्सा 1/3 का इन्द्राज दर्ज हुआ तथा नामा0 सं. 904 दिनांक 15.09.1993 बेचान के द्वारा ग्राम पचार के खसरा संख्या 1371, 1372, 1373, 1375, 1381, 1385, 1386 किता 7 रकबा 43.19 बीघा की खातेदारी में विरेन्द्र ढाका पुत्र हनुमान ढाका जाति जाट व विरेन्द्र कुमार पुत्र मेजर शिवराम सिंह जाति जाट निवासी जयपुर हिस्सा 1/3 का इन्द्राज स्वीकार हुआ था ।ग्राम पचार के नामा.सं. 903 दिनांक 15.09.1993 (बेचान) व नामा.सं. 904 दिनांक 15.09.1993 (बेचान) की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर सम्भाग जयपुर में अपील संख्या 39/94 व 40/94 पेश की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.1995 को निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा ग्राम पचार के नामा.सं. 903 व 904 की प्रक्रिया को अवैधानिक बताया गया । जिला कलेक्टर जयपुर को कर्मचारियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के लिए उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया। अपील संख्या 39/94 व 40/94 स्वीकार की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ग्राम पचार के नामा.सं. 903 व 904 को निरस्त किये जाने बाबत आदेशित नहीं किया गया।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर सम्भाग के निर्णय दिनांक 12.06.1995 की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई जो खारिज की गई। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में रिसीवरी प्रार्थना संख्या /98 उनवान विरेन्द्र ढाका पुत्र हनुमान ढाका, विरेन्द्र कुमार, अश्वनी कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रान शिवराम सिंह बनाम भूरा वगैरह में दिनांक 10.05.2002 को निर्णय पारित कर विवादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 1370, 1373, 1375, 1377, 1386, 1388, 1389 किता 6 रकबा 88—03 बीघा में वादी के एक तिहाई हिस्सा ग्राम पचार में नायब तहसीलदार कालवाड को रिसीवर नियुक्त किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/2337 दिनांक 30.05.2002 की पालना में दिनांक 05.07.2002 को खसरा संख्या 1386 रकबा 24.06 बीघा भूमि जो कि खसरा संख्या 1388 के लगता हुआ है कुल 29.07 बीघा भूमि जो कि किता 16 कुल रकबा 88.03 बीघा का 1/3 हिस्सा बनता है, को कुर्क कर कब्जेराज लिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का उक्त रिसीवरी आदेश वर्तमान तक प्रभावी है तथा वादीगण की उक्त भूमि वर्तमान में रिसीवरी में है । इस प्रकार ग्राम पचार के नामा. सं. 903 व 904 से जिन खातेदारो के नाम इन्द्राज स्वीकृत हुए थे, उनकी भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 10.05.2002 की पालना में रिसीवरी में है। ग्राम पचार के नामा.सं. 903 व 904 के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर सम्भाग द्वारा अपील 39/ 94 व 40/ 94 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.1995 में नामा0 संख्या. बाबत कोई आदेश नही दिया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ता

6. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या 40/94, एवं अपील संख्या 39/94 में निर्णय दिनांक 12.06.1995 के लगभग 30 वर्षों के विलम्ब के बाद उक्त निर्णय की पालना बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार कालवाड से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार कालवाड द्वारा अपनी में रिपोर्ट में अंकित किया है कि "न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में रिसीवरी प्रार्थना संख्या 81/98 उनवान विरेन्द्र ढाका पुत्र हनुमान ढाका, विरेन्द्र कुमार, अश्वनी कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्रान शिवराम सिंह बनाम भूरा वगैरह में दिनांक 10.05.2002 को निर्णय पारित कर विवादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 1370, 1373, 1375, 1377, 1386, 1388, 1389 किता 6 रकबा 88--03 बीघा में वादी के एक तिहाई हिस्सा ग्राम पचार में नायब तहसीलदार कालवाड को रिसीवर नियुक्त किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/2337 दिनांक 30.05.2002 की पालना में दिनांक 05.07.2002 को खसरा संख्या 1386 रकबा 24.06 बीघा भूमि जो कि खसरा संख्या 1388 के लगता हुआ है कुल 29.07 बीघा भूमि जो कि किता 16 कुल रकबा 88.03 बीघा का 1/3 हिस्सा बनता है, को कुर्क कर कब्जेराज लिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का उक्त रिसीवरी आदेश वर्तमान तक प्रभावी है तथा वादीगण की उक्त भूमि वर्तमान में रिसीवरी में है। इस प्रकार ग्राम पचार के नामा. सं. 903 व 904 से जिन खातेदारो के नाम इन्द्राज स्वीकृत हुए थे, उनकी भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 10.05.2002 की पालना में रिसीवरी में है।" अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा लगभग 30 वर्षों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना निरस्त किया जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर